न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 52/23 GCMS NO 2023/123

रामजीलाल पुत्र सोन्या जाति बैरवा निवासी बाढ खुर्द तहसील गंगापुर सिटी

अपीलांट

बनाम

सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 119/16 निर्णय व डिक्री दिनांक 10.11.22 न्यायालय उप जिला कलक्टर, गंगापुर सिटी)

अभिभाषक अपीला0 श्री मोहम्मद इस्लाम

अभिभाषक रेस्पो0 पैरोकार सरकार

दिनांक 27.11.2024

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 10.11.22 न्यायालय उप जिला कलक्टर, गंगापुर सिटी पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण/अपीलांट द्वारा एक वाद इस्तकरार हक खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया कि वादी को साबिक ख0न0 31 मे से 5 बीघा भूमि आवंटित हुई थी। जिसका कब्जा वादी को संभलवाया गया। वादी को आवंटित भूमि का ख0न0 31/1/01 डाला गया। साबिक ख0न0 31 का कुल रकबा 25 बीघा 9 विस्वा था जिसमे से राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प./राजस्व/परि/75 क/दिनांक 21.10.75 से उक्त 25 बीघा 9 विस्वा भूमि मे से 15 बीघा 9 विस्वा भूमि चारागाह रखी गई एवं 10 बीघा भूमि सिवायचक कर दी गई। इस 10 बीघा भूमि मे से 5 बीघा भूमि का आवंटन वादी के हक मे कर दिया गया तथा 5 बीघा भूमि का आवंटन मंगल बैरवा के हक मे कर दिया गया। जिस पर दोनो आवंटियो का निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। भू प्रबंध विभाग ने बिना किसी सक्षम आदेश के गलत रूप से वादी एवं अन्य आवंटी मंगल बैरवा की आवंटन शुदा भूमि को हाल ख0न0 58 रकबा 6.53 है0 मे शामिल कर चारागाह दर्ज कर दिया गया। जिसका उनको कोई अधिकार नही है। भू प्रबंध से पहले साबिक ख0न0 31/1/1 रकबा 5 बीघा पर वादी के खातेदारी इन्द्राज चले आ रहे थे तो भू प्रबंध विभाग वालो को साबिक रिकार्ड मे फेरबदल करने का अधिकार नही था। भू प्रबंध ने वादी की आवंटनशुदा भूमि को ख0न0 58 रकबा 6.53 है0 मे शामिल कर दिया। इस गलत इन्द्राज से वादी के हितो पर विपरीत असर पडने की पूरी संभावना है। अतः वादी को आवंटनशुदा भूमि ख0न0 31/1/1 रकबा 5 बीघा ग्राम बाढखुर्द से बने हाल ख0न0 58 रकबा 6.53 है0 चारागाह में से वादी का 1.25 है0 रकबा वादी के नाम दर्ज किये जाने की प्रार्थना करते हुआ अधिनस्थ न्यायालय से अपीलांट/वादी द्वारा चाही गई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/अपीलांट का वाद पत्र खारिज किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:00:27 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं रूयेदाद मिसल होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दावा इस आधार पर खारिज किया है कि वादी ने स्वयं को आवंटित होना बताया है जबकि भूमि उसके पिता को आवंटित हुई है। इस आधार पर दावा खारिज कर कानूनी भूल की है। जबकि दावे मे उक्त कथन एक सदभाविक गलती है। अपीलांट ने अपने पिता को हुए आवंटन के सबंध मे समस्त रिकार्ड पेश किया है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने सदभाविक गलती के आधार पर दावा खारिज कर कानूनी भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दावा धारा 16 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट से बाधित होने से खारिज किया गया है जबकि सन 1975 मे भूमिहीन व्यक्तियो को भूमि आवंटन के लिए राज्य सरकार के आदेश से चारागाह भूमियो को सिवायचक मे परिवर्तित किया गया था तथा सिवायचक मे से उक्त भूमि अपीलांट के पिता को आवंटित हुई थी। इस तथ्य को अधिनस्थ न्यायालय ने गौर नही किया है। जब भूमि पहले से ही खातेदारी थी तो सेटलमेंट द्वारा उसे चारागाह मे दर्ज कर दी तो वह चारागाह भूमि नही मानी जावेगी। अपीलांट के पिता को आवंटित भूमि एवं अन्य आवंटी मंगल बैरवा का नामा0 संख्या 19 दिनांक 20.11.73 को अपीलांट के पिता सोन्या पुत्र बंशी के हक मे तस्दीक कर दिया गया तथा गैर खातेदारी इन्द्राज अपीलांट/वादी के पिता के हक मे दर्ज कर दी जमाबंदी सम्वत 2032 से 2034 मे खाता संख्या 39 पर सोन्या पुत्र बंशी बैरवा के हक मे गैर खातेदारी इन्द्राज कर दी गई। लेकिन सेटलमेंट विभाग ने बिना किसी सक्षम न्यायालय मे आदेश के बिना ही अपीलांट/वादी के पिता एवं अन्य आवंटी मंगल को आवंटन शुदा भूमि को गलत रूप से चारागाह मे मिला दिया गया। जिसका उसको कोई अधिकार नही है। अन्य आवंटी मंगल के वारिस उदयराम पुत्र मंगल द्वारा सेंटलमेंट विभाग द्वारा गलत रूप से आवंटित भूमि को चारागाह मे शामिल करने पर राजस्व वाद संख्या 65/06 दायर किया गया था जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटी मंगल के वारिस उदयराम के पक्ष मे वाद पत्र डिकी किया गया है। जिसकी पालना मे राजस्व रिकार्ड मे खातेदारी दर्ज हो चुकी है। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आराजीयात ख0न0 58 मे से शेष रहे रकबे मे से 1.25 है0 रकबे को हजफ किया जाकर वादी/अपीलांट को भूमि 1.25 है0 वाके ग्राम बाढ खुद का खातेदार टीनेन्ट घोषित फरमाया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता पैरोकार सरकार ने बहस मे तर्क दिया कि अपीलांट के पिता को ग्राम बाढ खुर्द के साबिक ख0न0 31 मे से 5 बीघा भूमि का आवंटन नही हुआ है। मिलान क्षैत्रफल के अनुसार साबिक ख0न0 31 से हाल ख0न0 58 [illegible] .53 है0 बना है जो राजस्व अभिलेख मे चारागाह दर्ज है। यह भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत प्रतिबंधित भूमि है। अपीलांट/वादी द्वारा आवंटन [illegible] बताया जाकर ही वाद पत्र प्रस्तुत किया है जो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के अनुरूप खारिज किया है। विवादित

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:00:27 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे चारागाह दर्ज है। इस प्रकार अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि ग्राम बाढ खुर्द के साबिक ख0न0 31 रकबा 25 बीघा 9 विस्वा मे से राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. /राजस्व/परि/75 क/दिनांक 21.10.75 से भूमिहीन कृषको को आवंटन हेतु उक्त 25 बीघा 9 विस्वा भूमि मे से 15 बीघा 9 विस्वा भूमि चारागाह रखी गई एवं 10 बीघा भूमि सिवायचक कर दी गई। इस 10 बीघा भूमि मे से 5 बीघा भूमि का आवंटन अपीलांट/वादी के पिता के हक मे कर दिया गया तथा 5 बीघा भूमि का आवंटन मंगल बैरवा के हक मे दौराने आवंटन अभियान दिनांक 21.10.75 को कर दिया गया तथा नक्शा ट्रेस मे तरमीम कर ख0न0 31/1/1 डालकर अपीलांट/वादी के पिता सोन्या को कब्जा संभला दिया गया। इसी प्रकार अन्य आवंटी मंगल बैरवा को आवंटित हुई भूमि रकबा 5 बीघा का नक्शा ट्रेस मे तरमीम कर ख0न0 31/1/2 डालकर कब्जा संभला दिया गया। भू प्रबंध द्वारा उक्त आवंटित भूमियो को हाल ख0न0 58 रकबा 6.53 है0 मे मिलाकर चारागाह दर्ज कर दिया गया। आवंटी मंगल बैरवा के वारिस द्वारा सेटलमेंट की इस गलती को दुरूस्त कराने हेतु अधिनस्थ न्यायालय मे वाद पत्र संख्या 65/06 पेश किया जिसे अधिनस्थ न्यायालय ने स्वीकार कर आवंटी मंगला के वारिस उदयराम को भूमि साबिक ख0न0 31/1/2 से बने हाल ख0न0 58 मिन रकबा 1.25 है0 वाके ग्राम बाढ खुर्द का खातेदार काश्तकार घोषित किया गय है। जमाबंदी सम्वत 2072–75 मे खसरा न0 58 का रकबा 5.2800 है0 दर्ज रिकार्ड है जो रकबा 6.53 है0 मे से 1.25 है0 कम होने के बाद का अंकन है। खसरा परिवर्तनशील की नकले जो पत्रावली मे उपलब्ध है उससे वादी/अपीलांट का आराजीयात पर कब्जा होना सिद्व है। इस प्रकार अपीलांट/वादी आवंटित शुदा भूमि को अपने नाम खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी होने से अपीलांट की अपील स्वीकार योग्य है।

अतःअपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के मु0नं0 119/16 निर्णय व डिक्री दिनांक 10.11.22 को अपास्त किया जाता है। अपीलांट/वादी को साबिक ख0न0 31/1/1 से बने हाल ख0न0 58 मिन रकबा 1.25 है0 स्थित ग्राम बाढ खुर्द का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। हाल ख0न0 58 रकबा 5.2800 है0 मे से 1.25 है0 भूमि किस्म चारगाह को हजफ कर अपीलांट/वादी के नाम राजस्व रिकार्ड मे अमल किये जाने के आदेश तहसीलदार गंगापुर सिटी को दिये जाते है। निर्णय की प्रति तहसीलदार गंगापुर सिटी को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:00:27 IST
Reason: SelfAttested

(लक्ष्मी कान्त बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

डिगरी बसीगे अपील

(ओ. 41 रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure code, Appendix G)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी मुकाम सवाई माधोपुर

बइजलास श्री लक्ष्मीकांत बालोत आर.ए.एस.

रामजीलाल पुत्र सोन्या जाति बैरवा निवासी बाढ खुर्द तहसील गंगापुर सिटी
...... अपीलांट

बनाम

सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी

.... रेस्पो0

अपील संख्या 52/23 विरूद्व निर्णय न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी निर्णय व डिक्री दिनांक 10.11.22 वाद पत्र इस्तकरारहक खातेदारी,दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा। यह अपील संख्या 52/23 व तारीख़ 27.11.24 रूबरू हमारे व हाजिरी श्री मोहम्मद इस्लाम अभिभाषक मिन जानिब अपीलांट तथा पैरोकार सरकार अभिभाषक रेस्पो0 की उपस्थिति समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता है। अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अपीलांट/वादी को साबिक ख0न0 31/1/1 से बने हाल ख0न0 58 मिन रकबा 1.25 है0 स्थित ग्राम बाढ खुर्द का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 27.11.24 को जारी किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

खर्चा अपील

अपीलांट	रूपये	पैसे	रेस्पो0	रूपये	पैस
स्टाम्प अपील	---	---	स्टाम्प वकालतनामा	---	---
स्टाम्प वकालतनामा	---	---	स्टाम्प अ[illegible]	---	---
इजराय हुक्मनामा	---	---	इजराय हुक्मनामा	---	---
वकील फीस बाबत	---	---	[illegible]	---	---

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:00:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner